[2018] 10 एससीआर 771

ललित यादव

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य का एसएलपी (आपराधिक) संख्या 5631) 05 जुलाई, 2018

[अभय मनोहर सप्रे और उदय उमेश ललित, न्यायमूर्तिगण]

दंड संहिता, 1860 - धारा 228-ए - बलात्कार के पीड़ित की पहचान का प्रकटीकरण - इस मामले में, बलात्कार की पीड़िता (पीडब्ल्यू -2) का नाम पूरे रिकॉर्ड में था - इस तरह का व्यवहार धारा 228-ए के तहत असंगत है, हालांकि स्पष्टीकरण उच्च न्यायालय के निर्णयों के मामले में एक अपवाद है - सभी अदालतों द्वारा हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए कि वे धारा 228-ए के संदर्भ में, पीड़ित की पहचान का खुलासा न करें - उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है रिकॉर्ड में उचित परिवर्तन करने के लिए उच्च न्यायालय में अपील का रिकॉर्ड रखें, जिसमें उचित अभ्यास निर्देश पारित करना शामिल है ताकि राज्य में ट्रायल कोर्ट धारा 228-ए - में उल्लिखित जनादेश और भावना का पालन कर सकें। अभ्यास और प्रक्रिया।
पंजाब राज्य बनाम रामदेव सिंह (2004) 1 एससीसी 421 पर भरोसा किया।

संदर्भित विधि व्यवस्था (2004) 1 एससीसी 421 पैरा 2

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2018 का एसएलपी (आपराधिक) संख्या 5631।

2003 की आपराधिक अपील संख्या 45 में उच्च न्यायालय अवस्थित बिलासपुर (सीजी) के दिनांक 26.04.2014 के निर्णय और आदेश से।

याचिकाकर्ता की ओर से अक्षत श्रीवास्तव, सरबजीत दत्ता, सुश्री पूजा श्रीवास्तव, एडवोकेट।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था: आदेश

देरी को माफ कर दिया गया।

1. याचिकाकर्ता को धारा 376 आईपीसी और धारा 342 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया और क्रमशः सात साल और एक साल की सजा सुनाई गई। उच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान अपील को खारिज करके उनकी दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की गई। हमें, उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए, दोषसिद्धि और सजा के आदेशों को जारी रखने के आदेश, में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है और इसलिए यह याचिका खारिज की जाती है।
2. हालांकि, हम ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के फैसलों से नोटिस करते हैं कि वर्तमान मामले में पीड़ित, जिसकी परीक्षा पीडब्ल्यू 2 के रूप में की गई थी, का नाम सभी ने पूरे निर्णय में लिख रखा है। इस तरह का व्यवहार आईपीसी की धारा 228-ए के अनुरूप नहीं है, हालांकि स्पष्टीकरण में उच्च न्यायालय के फैसलों के पक्ष में एक अपवाद बनता है। बहरहाल, सभी अदालतों द्वारा आईपीसी की धारा 228-ए के संदर्भ में पीड़ित की पहचान का खुलासा नहीं करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। पंजाब राज्य बनाम रामदेव सिंह मामले (2004)1 एससीसी 421 में इस न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है।
3. वर्तमान मामले को खारिज करते हुए, हम उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री को निर्देश देते हैं कि वह उच्च न्यायालय में अपील के रिकॉर्ड को विद्वान न्यायाधीश के समक्ष रखे ताकि रिकॉर्ड में उचित परिवर्तन किया जा सके जिसमें उचित अभ्यास निर्देश पारित करना शामिल है ताकि राज्य में ट्रायल कोर्ट आईपीसी की धारा 228-ए के अधिदेश और भावना का पालन कर सकें।

देविका गुजराल की याचिका खारिज।

Digitally signed by AJAY KUMAR SHAHI
Date: 2023.10.28 16:32:54 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court